Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)
Email : rorpcbudaipur@gmail.com Phone no : **0294-2491269**

No.: RPCB/RO U/UDR/ 835 **Dated :** 3.11.2020

To,
The State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
Rajasthan, Room No. 5221, Main Building,
Govt. Secretariat,
Jaipur, Rajasthan

Sub:-Regarding minutes of public hearing dtd. 16.10.2020 for Environmental Clearance of **M/s Tarun Minerals Pvt. Ltd., "Mandwa Soap Stone Mines" (M.L. No.- 5/1999) N/V-Mandwa, Tehsil & District-Dungarpur**

Ref:- Distt. Collector, Dungarpur letter no. F.40(18)General/2020/2771, dated 14/09/2020

Sir,

With reference to above, kindly find enclosed herewith a copy of Minutes of Public Hearing Meeting held on 16.10.2020 for proposed production of **M/s Tarun Minerals Pvt. Ltd., "Mandwa Soap Stone Mines" (M.L. No.- 5/1999) N/V-Mandwa, Tehsil & District-Dungarpur**

A copy of attendance sheet, CD and album are also enclosed for ready reference.

Submitted for information & further necessary action.

Yours Faithfully

Encl: As above.

Sd/-
(Vinay Katta)
Regional Officer

Copy to:-(1) The Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information please.
(2) Additional District Magistrate, Dungarpur
(3) Incharge, I.T. Cell, RSPCB, Jaipur
(4) M/s Tarun Minerals Pvt. Ltd., Near Jain Madir, Kherwara, Distt-Udaipur

02/11
Regional Officer

जन सुनवाई विवरण

मैसर्स तरुण मिनरल, ''माण्डवा, सोप स्टोन माईन्स '',(एम.एल.न. 05/1999, क्षैत्रफल 24.92 हेक्टर) माण्डवा तहसील एवं जिला डॅगरपुर सोपस्टोन की खान का वर्तमान उत्पादन क्षमता 12000 टन प्रति वर्ष से प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 84000 टन प्रति वर्ष किये जाने बाबत पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक जनसुनवाई हेतु बैठक दिनांक 16.10.2020 भुक्रवार को मध्यान्हपुर्व 11.00 बजें, भारत निर्माण ,राजीव गांधी सेवा केन्द्र, साबली तहसील एवं जिला डॅगरपुर पर आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक एफ 40 (18)सामान्य/2020/2771 दिनांक 14.09.2020 एवं एफ 40 (18)सामान्य/2020/2937 दिनांक 15.10.2020 एवं क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक 449 दिनांक 11.09.2020 के अनुक्रम में पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक जनसुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 16.10.2020, शुक्रवार, को समय मध्यान्हपुर्व 11.00 बजें, भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केन्द्र साबली तहसील एवं जिला डूॅगरपुर पर रखी गई।

लोक जन सुनवाई **श्री राजेश कुमार नायर उपखण्ड अधिकारी** , डूॅगरपुर जो कि जिला कलेक्टर डूॅगरपुर के प्रतिनिधि के रूप में पधारे हैं, एवं विनय कट्टा , क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए खनिज मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची **(संलग्नक 'अ')** पर संलग्न है। जन सुनवाई की सूचना नोटिफिकेशन के प्रावधानुसार तीस दिन पहले राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर'' एवं ''आत्मा की आवाज'' में दिनांक 15.09.2020 को प्रकाशित की जा चुकी है। (**संलग्न "ब"**)

यह जन सुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण (संरक्षण) अधिसूचना के प्रावधानो के अनुरुप आयोजित कि गई ,लोक सुनवाई की विडियो रिकोर्डिगं एवं फोटोग्राफ संलग्न है।, **(संलग्नक "स")**

जन सुनवाई का विवरण निम्न प्रकार हैः–

लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा ने लोक जनसुनवाई के प्रावधानो ,उदश्यो एवं महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमुह से अपील करी वे इस प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित सुझाव और आक्षेप के बारे में मोखिक /लिखित रुप से प्रस्तुत करें । उन्होने बताया कि यह जन सुनवाई **मैसर्स तरुण मिनरल, ''माण्डवा, सोप स्टोन माईन्स '',(एम.एल.न. 05/1999, क्षैत्रफल 24.92 हैक्टर) माण्डवा तहसील एवं जिला डॅगरपुर** में स्थित सोपस्टोन की खान का प्रस्तावित

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

...मता 84000 टन प्रति वर्ष व वर्तमान उत्पादन क्षमता 12000 टन प्रति वर्ष है एवं. परियोजना की ...3 करोड़ हेतु पर्यावरण स्वीकृति बाबत आज जन सुनवाई की जा रही है।

अतः सभी को मेरा अनुरोध है कि आप खान मालिको के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/आपत्ति/आक्षेप/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले आप अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम पद तथा गाँव एवं आपकी जाति बतावें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत /आक्षेप जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

विनय कट्टा ने अवगत कराया कि इस जन सुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत की जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेगे तथा जन सुनवाई में होने वाली कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। उसकी सीडी के अनुरूप कार्यवृत (Minuts) बनाये जायेगे जिसको हम उच्च अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजेगें। तत्पश्चात विनय कटटा ने पर्यावरण सलाहकार में. एपेक्स मिनटेक कन्सल्टेन्ट उदयपुर के प्रतिनिधि श्री अमीत सक्सैना से आग्रह किया कि वो इस खान परियोजना से संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी देवें। साथ ही खनन के दौरान पर्यावरण को होने वाले नुकसान तथा पेड़ पोधो, जल/वायु प्रदूषण यदि हो रहा है तो उसके बारे में आप द्वारा क्या उपाय किये जायेंगे ? तथा खान मालिकों द्वारा आप सभी ग्रामवासियों के जन कल्याण बाबत क्या योजना बनाई गयी है ? उसकी भी जानकारी देगें ताकि खान के निकट गांवों में रहने वाले ग्रामवासियों का सामाजिक/आर्थिक उत्थान हो सके तथा समस्त गांवो के विकास में भी बाधा भी न आवें।

एपेक्स मिनटेक कन्सल्टेन्ट उदयपुर से श्री अमीत सक्सैना द्वारा मैसर्स तरुण मिनरल, ''माण्डवा, सोप स्टोन माईन्स '',(एम.एल.न. 05/1999, क्षैत्रफल 24.92 हैक्टर) माण्डवा तहसील एवं जिला डूँगरपुर के सम्बन्ध में कार्यकारीणी सारांश की विस्तृत जानकारी देते हुए जानकारी दी किः–

- प्रस्तावित कुल सकल उत्पादन क्षमता 12000 टन प्रतिवर्ष से 84000 टन प्रतिवर्ष के प्रकिया के लिये पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना है।
- शासन के आदेश क्रमांक प–5 (149) खान/ग्रप–3/79 से 565.91 हैक्टेयर क्षेत्र संविदा पंजीयन की तिथि से 20 वर्ष की अवधि के लिए सर्व श्री तरूण मिनरल्स थाना, जिला डूंगरपुर के पक्ष में स्वीकृत किया गया।
- पट्टाधारी द्वारा खनिज एसबस्टस (सूत पत्थर) का अध्यर्पण आवेदित करने पर तत्कालीन वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, बांसवाडा द्वारा दिनांक 22.05.1997 को किए गए निरीक्षण में क्षेत्र में किस्टेलाईन

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

एसबस्टोस नहीं होना तथा खनन गडढें में किसी भी प्रकार के खनिज एसबस्टोस की उपलब्धता नहीं होना अंकित किया गया।।

- उक्त खनन पट्टे को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा पत्र क्रमांक J-11015/193/2006-IA,II-M दिनांक 09.11.2006 से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई। जिसमें घीया पत्थर का उत्पादन 12000 टन प्रतिवर्ष की दर किया जायेगा।
- प्रथम नवीनीकरण शासन के आदेश क्रमांक पी–5(22)/खान/ग्रुप–02/2001 दिनांक 17.10.2011 द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसका संविदा निष्पादन क्षेत्र 24.92 हैक्टेयर के लिए 14.11.2011 को किया गया। खनन पट्टा की अवधि दिनांक 16.05.2000 से 15.05.2020 तक।
- खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन 1957 (संशोधन) अध्यादेश, 2015 की धारा 8 ए (6) के अनुसार कार्यालय पत्र संख्या अखअ/डूंगर/सी.सी.।।/एम.एल.–05/1999/385 दिनांक 13.02.2015 से उत्खनन पट्टे की अवधि दिनांक 15.05.2030 तक स्वतः बढ गई। अतः खनन पट्टे की अवधि दिनांक 165.05.1980 से 15.05.2030 तक वैध है।
- इसी खनन पट्टे को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से कन्सेन्ट टू ऑपरेट जारी किया जो की घीया पत्थर का उत्पादन 12000 टन प्रतिवर्ष की दर से किया जायेगा।
  कन्सेन्ट टू ऑपरेट 2015.16 क्रमांकक/माइन्स/6945 दिनांक 11.03.2016 जो कि दिनांक 30.11.2018 तक वैध है।
- संशोधित खनन स्कीम के साथ उतरोतर खनन बन्द करने की योजना का अनुमोदन अधीक्षण खनि. अभियन्ता उदयपुर वृत उदयपुर के पत्र क्रमांक अखअ/उदय–वृत/खनन–स्कीम/डूंगर/प. 09/18/561–568 दिनांक 23.05.2019 को किया गया।
- अध्ययन क्षेत्र में कोर जोन और बफर जोन दोनों शामिल है।
- कोर जोन 24.92 हैक्टेयर का खनन पट्टा क्षेत्र है। खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर पडने वाले क्षेत्र को बफर जोन के रूप में माना जाता है।

वातावरण :–

बेस लाईन डेटा के नमूना स्थानों का चयन कोर जोन (खनन पट्टा क्षेत्र) और गॉव नाइवा, नवश्याम, संचिया, जेलावा, बिछीवाडा से नमूने लिए गए। बेस लाईन डेटा की जानकारी एकत्र करने के लिए परिवेशीय वायु गुणवत्ता, मिट्टी, ध्वनि, पानी, जैव विविधता (फ्लोरा और फॉना) इत्यादि के नमूने एकत्रित किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। सभी परिणाम निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर पाए गए।

➢ **वायुः** सभी अध्ययन परिणाम निर्धारित मापदंडो के भीतर पाए गए।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

ध्वनिः सभी अध्ययन परिणाम निर्धारित मापदंडो के भीतर पाए गए।

- **पानीः** जल के नमूने खदान स्थल नैवा, नवलश्याम, संचिया, जेलावा, बिछीवाडा, नवलश्याम तालाब, पेट्री तालाब (एडवर्ड तालाब) तालाब से लिए गए एवं उपलब्ध नमूनों का विश्लेषण किया गया एवं यह पाया गया कि भूजल गुणवत्ता निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई। भूजल पीने के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है जबकि नदी और तालाब का पानी कृषि उद्देश्य के लिए उपयुक्त है।
- **मिट्टी** :– मिट्टी "पृथ्वी की त्वचा" है। यह खनिजों, जल, वायु कार्बनिक पदार्थो और अनगिनत जीवों/रोगाणुओ का एक जटिल मिश्रण है। इसमें 6 विभिन्न स्थानों और भूवैज्ञानिकों विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मौजूदा मिट्टी की स्थिति का आकलन किया गया। जिसमें सतह के नीचे 30 सेमी, 60 सेमी और 90 सेमी और मिश्रित और समरूप थे।

उन्होंने एकत्रित जनसमूह को बताया कि परियोजना की विस्तार के बाद भी हवा के मापदण्ड में नगण्य परिवर्तन ही होंगे, लेकिन निर्दिष्ट मापदण्डों के भीतर ही रहेंगे।

अन्त में श्री अमित सक्सेना ने सीएसआर की गतिविधियों और इस संबंध में उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होनें माईन्स द्वारा अपनाए जाने वाली प्रदूषण नियत्रंण प्रणाली के बारे में बताया।

तत्पश्चात विनय कट्टा, क्षेत्रीय अधिकारी ने उपस्थित जन समुह से आग्रह किया कि अगर कोई समस्या/आक्षेप/सुझाव हो तो मुक्त कण्ढ से बतावें। प्रस्तावित मैं तरूण मिनरल्स, एमएल नं.05/1999 (क्षैत्रफल 24.92 हैक्टर) माण्डवा सोपस्टोन माईन्स, माण्डवा, तहसील एवं जिला–डूंगरपुर विस्तार परियोजना से पर्यावरण के संदर्भ प्रस्तावक/सलाहकार के उत्तर के साथ सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाए गए प्रश्न/अवलोकन निम्नानुसार दिये गए है :–

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	सवाल	उत्तर
1	श्री लीलाराम वरहात सरपंच ग्राम साबली	ने अपना परिचय दिया एवं सभी का अभिनन्दन करते हुए खनन इकाई के मालिक द्वारा पंचायत में करवाये गए कार्य के बारे में बताया तथा अन्य लोगो को भी कोई समस्या एवं सुझाव के बारे में बोलने हेतु कहा ।	इस पर खान मालिक ने अपनी सहमति प्रकट की।
2	श्री राजेश जी फलासीया ग्राम साबली	ने सभी का अभिनन्दन किया एवं बताया कि माण्डवा में माईन्स चल रही है अच्छी बात है । उन्होने खान मालिक से निवेदन करना चाहा कि स्थानीय लोगो	इस पर खान मालिक ने आश्वस्त किया कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

		को रोजगार में प्राथमिकता देवे। माईन्स को सरकारी नियमों के अनुसार चलाई जाए तथा हमारी पानी कि समस्या का समाधान होना चाहिए।	कि सरकारी नियमों के अनुसार ही माईन्स चलायी जाएगी । तथा पानी की समस्या का समाधान भी हमारें द्वारा किया जाएगा।
3	श्री विश्राम अहारी ग्राम माण्डवा	ने बताया कि माईन्स चले तो इससे हमें कोई समस्या नही है लेकिन हमारे खेतो को माईन द्वारा पानी दिया जाए क्यो कि हमारे खेतो में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है तथा साथ साथ यह भी कहा की हमें समय समय पर पेयजल की व्यवस्था भी की जाए। स्थानीय लोगो को रोजगार दिया जाए । साथ ही बताया की माईन्स से जो गाडियॉ चलती है उससे धूल बहुत उडती है तो पानी का छिडकाव निरन्तर करवाया जाना चाहिये ।	इस पर खान मालिक ने आश्वस्त किया कि खेतों एवं पेयजल कि व्यवस्था हमारें द्वारा पूर्व में की जा रही थी एवं स्थानीय लोगों को पेयजल हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा था। परन्तु अभी चूंकि पिछले 2 वर्षो से माईन्स बंद है एवं कन्सेट टू ऑपरेट राज्य मण्डल से जारी नही होने से यह समस्या आ रही हैं।
4	श्री लीलाराम वरहात सरपंच ग्राम साबली	ने खनन इकाई मालिक को कहा कि गेहुॅ की फसल के लिये सिंचाई पानी की व्यवस्था की जाए।	इस पर खान मालिक ने कहा कि गेहूॅ की फसल के लिए पानी की सिंचाई की व्यवस्था हमारे द्वारा कि जाएगी।

श्री करणवीर सिंह चौहान निवासी मु.पोस्ट पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूॅगरपुर राज0 द्वारा लोक जन सुनवाई से पूर्व दिनांक 02.10.2020 को क्षेत्रीय कार्यालय की मेल आई.डी. पर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । **(संलग्नक "द")**

उपखण्ड अधिकारी श्री राजेश कुमार नायक.: ने लीजधारक एवं पधारे हुए सभी ग्रामीणो का स्वागत करते हुए बताया की माईन्स को जो स्वीकृति मिलेगी, उसी के लिए आज जन सुनवाई की जा रही है। ताकी आपकी समस्या एवं सुझाव जो प्राप्त होगें उन्हे मिनिटस में लेकर आप की बात को हम आगे पहुचॉ सके। आप अपना प्रतिवेदन कलेक्टरेट कार्यालय में भी दे सकते है। साथ ही बताया कि डूॅगरपुर में जो पिछले दिनो में जो घटना घटी है उसको शातिं पूर्वक एक दूसरे के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

बनाएं एवं उधोगो को चलाने में सहायक बने व आर्थिक गतिविधियों को दुरुस्त करने में एक दुसरे सहायता करे। सभी को आगे बढना है, तथा एसी दुर्भावना जिससे एक दुसरे को नुकसान हो का आपस में मिल बैठकर समाधान करे। स्थानीय उधोगो को सुचारु रुप से सॅचालन से संबन्धित स्थानीय रोजगार के बारे में लोगो को विनम्र जानकारी एवं सलाह दी व क्षेत्र में शातिं बनाए रखने की अपील भी की साथ ही कोरोना महामारी से बचाव से सम्बन्धित जानकारी विस्तार उपस्थित जनसमुदाय को दी गई।

अन्त में विनय कट्टा, क्षेत्रीय अधिकारी :द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को शान्ति एवं समयपूर्व अपनी बात कहने व जनसुनवाई में भाग लेने हेतु आभार व्यक्त किया एवं आज जनसुनवाई को समाप्ती की घोषणा की गई ।

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी , डूॅगरपुर

(विनय कट्टा)
क्षैत्रीय अधिकारी, उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक: अ

पर्यावरणीय क्लीयरेन्स हेतु जन सुनवाई

मै० तरूण मिनरल्स, एम.एल.न० 5/1999 (क्षैत्रफल 24.92 हैक्टर) माण्डवा सोपस्टोन माईन्स, माण्डवा, तहसील एवं जिला– डूंगरपुर पर्यावरण संबंधी जन सुनवाई बाबत् दिनांक 16.10.2020 को 11:00 A.M. बजे मै० भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, साबली, तहसील एवं जिला– डूंगरपुर में आयोजित जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:

क्र०स०	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible] डूंगरपुर	[illegible]
2			
3	श्याम सिंह	[illegible] उदयपुर	[illegible]
4	सीताराम [illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible], उदयपुर	[illegible]
6	चन्द्र प्रकाश	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	माण्डवा	[illegible]
9	[illegible]	माण्डवा	[illegible]
10	[illegible]	माण्डवा	[illegible]
11	[illegible]	माण्डवा	[illegible]
12	[illegible]	माण्डवा	[illegible]
13	[illegible]	माण्डवा	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	माण्डवा	[illegible]
16	[illegible]	माण्डवा	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	माण्डवा	[illegible]
21	[illegible]	माण्डवा	[illegible]

	व्यक्ति का नाम	उद्योग का नाम व पता	मोबाइल न.	हस्ताक्षर
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
27	[illegible]	[illegible]		[illegible]
28	[illegible]	[illegible]		[illegible]
29	[illegible]	[illegible]		
30	[illegible]	[illegible]		[illegible]
32	कृष्णा गौड़	कृष्णा एंड ग्रुप [illegible]		[illegible]
33	[illegible]	[illegible]		[illegible]
34	राजकुमार कलावत (उप सरपंच)			राजकुमार
35	[illegible]	[illegible]		[illegible]
36	दुर्गेसिंह चौहान	मा. [illegible]		दुर्गे
37	[illegible]	[illegible]		[illegible]
38	[illegible]	सावली		[illegible]
39	दिनेश कुमारी	सावली		[illegible]
40	हीरालाल	सावली		हीरालाल [illegible] (4)
41	कुमारी	[illegible]		कुमारी
42	[illegible]	सावली		[illegible]
43	मोतीलाल [illegible]	सावली		मोतीलाल
44	[illegible]	सावली		[illegible]
45	[illegible]	[illegible]		[illegible]
46	मोहन	सावली		मोहन
47	[illegible]	सावली		
48	[illegible]	सावली		[illegible]
49	[illegible]	सावली		[illegible]
50	[illegible]	सावली		[illegible]
51	[illegible]	[illegible]		
52	[illegible]	सावली		
53	[illegible]	सावली		[illegible]

व्यक्ति का नाम	उद्योग का नाम व पता	मोबाइल न.	हस्ताक्षर
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3/paper-: दैनिक भास्कर दि॰ 15.09.2020

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल उदयपुर

[illegible] उदयपुर

[illegible] दिनांक 14.09.20

Email - [illegible]@gmail.com

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

[illegible] तहसील एवं जिला [illegible] 1959 [illegible] 5 / 1959 [illegible] पर्यावरण स्वीकृति के लिए [illegible] प्रस्तुत किया है।

2 [illegible] राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल [illegible] पर्यावरण स्वीकृति के लिए [illegible] भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा [illegible] किया है।

3 [illegible] पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार [illegible] अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी [illegible] आवश्यक है।

[illegible] निम्नलिखित कार्यालयों [illegible] सकता है।

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, 4, [illegible] जयपुर
2. क्षेत्रीय कार्यालय [illegible] पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल केंद्रीय भवन, सेक्टर एच अलीगंज लखनऊ - 226024 (UP)
3. उपखंड अधिकारी, डूंगरपुर जिला - डूंगरपुर
4. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, डूंगरपुर
5. निदेशक मंडल पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, [illegible] भवन, सचिवालय जयपुर
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एफ-470 [illegible] औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)

सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई दिनांक 16.10.2020 (शुक्रवार) को 11.00 A.M. बजे [illegible] तहसील एवं जिला - डूंगरपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 महामारी को ध्यान में रख [illegible] दूरी [illegible] रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

[illegible] इस संबंध में लिखित सुझाव / आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

[illegible]-: आत्मा कि आवाज दि: 15.09.20[illegible]

क्षेत्रिय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल उदयपुर

एफ. 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर
E-mail.- rorpcbudaipur@gmail.com

क्रमांक / आर.ओ.यू. / उदय /

दिनांक 14.09.20

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय – मैसर्स तरुण निनामा, (एम.एल.नं. 5 / 1999 क्षेत्रफल 24.92 हैक्टर) मामड़वा सोपस्टोन माईन्स, मामड़वा, तहसील एवं जिला– डूंगरपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन (एम.एल.नं. 5 / 1993 क्षेत्रफल 24.92 हैक्टर) उत्पादन परियोजना क्षमता 12000 प्रतिवर्ष से 84000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै. तरुण निनामा, "मामड़वा सोपस्टोन माईन्स", मामड़वा, तहसील एवं जिला– डूंगरपुर ने प्रस्तावित विस्तार परियोजना सोपस्टोन (एम.एल.नं. 5 / 1999, क्षेत्रफल 24.92 हैक्टर) उत्पादन परियोजना क्षमता 12000 टन प्रति वर्ष से 84000 प्रतिवर्ष का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (जहां ज्यां बाद में मंडल के नाम से उल्लिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है।

2 और चूंकि मैसर्स तरुण निनामा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया है।

3 और क्योंकि मंडल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस देना जाना आवश्यक है।

4 इस परियोजना से संबंधित संक्षिप्त सारांश (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है

1. कार्यालय जिला कलेक्टर, डूंगरपुर
2. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच अलीगंज, लखनऊ–226024 (UP)
4. उपखंड अधिकारी, डूंगरपुर जिला– डूंगरपुर
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, डूंगरपुर
6. निदेशक, मंडल पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 6240 द्वितीय तल, एस.एस.ओ. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर
7. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एफ–470 मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)

सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई दिनांक 16.10.2020 (शुक्रवार) को 11.00 A.M. बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, मामड़वा, तहसील एवं जिला– डूंगरपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड–19 महामारी को ध्यान में रख सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव / आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं

क्षेत्रीय अधिकारी

KARN VEER SINGH CHAUHAN

Mob.no-9636624176

SocialActivist e-mail- icleancorruption@gmail.com

सेवामें,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महो0,
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण
मंडल क्षैत्रीय कार्यालय,
उदयपुर।

विषयः-दिनांक 16/10/2020 को पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई पर आपत्तियॉ पेश करने बाबत।

सदर्भः-आम सूचना आपका पत्र राप्रनिम/आर.ओ.यु./उदय दिनांकः-14/09/2020

उपरोक्त विषय मे लेख है कि मैसर्स तरुण मिनरल्स,एम.एल.न. 55/1999(क्षैत्रफल 24.92 हैक्टर)"माण्डवा सोपस्टोन मांइस" द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई आम सूचना दिनांक 14 सितम्बर 2020 को प्रिन्ट मिडिया के माध्यम से प्रसारित की गई हैं। जिनमे आपत्ति व सुझाव मांगे गए है जो निम्न हैः-

1. प्रथमतः यह कि माइन्स के माध्यम से खनन करने से क्षैत्र का जो दोहन हो रहा है, इसके दुरगामी नकारात्मक परिणाम भविष्य मे इस क्षैत्र को भुगतने हैं, जिससे इस क्षैत्र को लाभ कम व हानि अधिक हैं जिससे इस स्वीकृति हेतु पुनः पुनर्विचार कर समीक्षा करना आवश्यक हो गया है। जिस पर इसे मात्र रायल्टी प्राप्त करने व आर्थिक लाभ के बारे मे ही ना सोचकर समग्र पहलुओ पर विचार करना अतिआवश्यक हो गया है, जिस पर पूर्णतया आश्वस्त व अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रत्येक बिन्दु का तथ्यात्मक स्पष्टिकरण लेने के पश्चात उच्च अधिकारियो की जवाबदेही तय कर समाधान होने पर ही निर्णय होने पर ही स्वीकृति दी जावे।

2. यह कि कोरोनो काल के चलते हुए मैसर्स तरुण मिनरल्स,एम.एल.न. 55/1999(क्षैत्रफल 24.92 हैक्टर)"माण्डवा सोपस्टोन मांइस" के पूर्व के ऑकडे/ कार्य /स्थानिय किया गया विकास भी इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक जारी करना आवश्यक है, जिससे कि आमजन यह समीक्षा कर सके कि खनन हेतु स्वीकृति देने से क्षैत्र का दोहन ही नही हो रहा अपितु इसके लिए पर्यावरणीय एवं क्षैत्र के विकास के लिए सतत, समावेशी, धारणीय विकास भी किए जा रहे हैं, जिससे क्षैत्र का सिर्फ दोहन ही नही हो रहा अपितु लाभ भी हो रहा है,यह आश्वस्त करने के पश्चात ही

Scanned by CamScanner

जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

3. यह कि प्रायः देखा गया है कि स्वीकृति लेते वक्त अधिकतम आमजन को विश्वास मे लेने कई वादे किए जाते रहे है, किन्तु धरातल पर अपेक्षित कार्य नही होता पश्चात सार्वजनिक हित होने से किसी अधिकारियो द्वारा अपेक्षित ध्यान भी नही दिया जाता जिससे क्षैत्र वांछित लाभ से अछुता ही रहता हैं, इस हेतु शपथ पत्र पर उक्त क्षैत्र को दिए जाने वाले लाभ व समयसीमा का उल्लेख कर नोटरी कर सार्वजनिक करने व क्षैत्र मे भविष्य मे दिवार पर चस्पा करने का आशय पत्र लेने पर ही स्वीकृति दी जावे।

4. यह कि इस स्वीकृति को जारी करने से पूर्व क्षैत्र पर व आमजन को स्वास्थ, आर्थिक, मानसिक व सार्वजनिक संपत्तियो को होने वाले नुकसान की विषय विशेषज्ञ से सर्वे रिपोर्ट लेकर होने वाले नकारात्मक प्रभाव व सकारात्मक प्रभाव की सर्वे रिपोर्ट की सार्वजनिक समीक्षा करवाकर ही आमजन हेतु सार्वजनिक कर व्यापक प्रचार प्रसार कर इसके परिणामो की जानकारी लेकर पुनःआमजन से आपत्तियॉ मॉग करने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिए जाए व इस हेतु जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

5. यह कि लीज क्षैत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाये गए है ? भौतिक निरिक्षण रिपोर्ट लेकर ही जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

6. यह कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा मात्रा बढने से खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलु दुषित जल(यदि कोई हो) के उपचार की पर्याप्त व उचित व्यवस्था हैं ? जवाबदेह सक्षम अधिकारी भौतिक निरिक्षण रिपोर्ट लेकर ही स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

7. यह कि खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दुषित जल या सामान को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों मे किसी भी परिस्थिति मे निरसारित नही किया जा रहा हैं/जावेगा, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षरोपण हेतु पुर्नउपयोग किया जा रहा हैं/जावेगा । धरेलु दुषित जल के उपचार के लिए सेप्टिंक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था करने एवं दुषित जल एवं वर्षा ऋतु का जल आपस मे ना मिले इस हेतु जवाबदेह सक्षम अधिकारी भौतिक निरिक्षण रिपोर्ट लेकर स्वयं आश्वस्त होकर ही इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

यह कि खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दु पर जल छिडकाव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन/संधारण सुनिश्चित है, सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट जारी कर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

9. यह कि वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदुषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदुषण, निवारण, तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानको के अनुरूप रखा जा रहा हैं, एवं उत्खनन क्षेत्र मे परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानको से अधिक नही हो, सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

10. यह कि लीज क्षैत्र के चारो ओर पट्टी छोड उसमे कोई वेस्ट डम्प का भण्डारण नही कर वृक्षारोपण किया जाए, सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

11. यह कि उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग न आने वाली भूमि मे पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने मे तथा जहां पर उपरी मिट्टी(टॉप साईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ(कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखने सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

12. यह कि ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिकी अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित करने तथा इस प्रकार के भण्डारण स्थलो को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जावें तथा भण्डारित पदार्थ आसपास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊचॉई सतह से 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक नही रखने व ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण करवाने सक्षन अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

13. यह कि जहां तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में

Scanned by CamScanner

ुर्नभरण(बैक फिलिंग) हेतु उपयोग करेंगे ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

14. यह कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट, लीज क्षैत्र के आसपास के सतही जल स्त्रोतों मे प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पिट तथा डम्प क्षैत्र मे रिटेनिंग वॉल/गारलेण्ड ड्रैन की व्यवस्था उपस्थित होनें पर ही सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

15. यह कि गौण खनिज का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से ही करने ताकि गौण खनिज वाहन से बाहर ना गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनो का भार क्षमता से अधिक नही भरने होनें पर ही सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

16. यह कि प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा उत्खनन योजना के अनुसार स्थानिय प्रजातियो के पौधो का रोपण खदान के चारो ओर करने। रोपण को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था(यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) करेंगे। स्थल उपलब्ध नही होने की दशा मे संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा स्थान चिन्हित कर वृक्षारोपण करने जो कि प्रथम वर्ष मे ही पूर्ण करने पर ही सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

17. यह कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदुषण को नियंत्रण करने हेतु आवश्यक उपाय किए गए हैं। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षैत्र मे 70 से 75 अधिक नही होगा। तीव्र ध्वनि वाले क्षैत्रो मे काम करने वाले श्रमिको को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएगे एवं समय-समय पर चिकित्सकिय जांच कराने पर ही सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

18. यह कि उत्खनन प्रकिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे ही की जावेगी एवं उत्खनन प्रकिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति मे नही करने पर ही की शर्त पर ही सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

19. यह कि उत्खनन प्रकिया इस प्रकार सुनिश्चित की जावेगी कि इससे वनस्पति, पारिस्थितिकी, जीव जन्तु, सार्वजनिक संपत्ति, क्षैत्र के आमजन

Scanned by CamScanner

के स्वास्थ, रोजगार, किसी की निजी संपत्ति तथा प्रदुषण संबंधि हानि ना के बराबर हो की शर्त पर ही जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

20. यह कि कार्यस्थल पर यदि केम्पिग श्रमिक लगाये जाते हैं, तो ऐसे श्रमिको के आवास हेतु उचित व्यवस्था की गई हैं, आवासीय व्यवस्था नियमो के अन्तंगत पर्याप्त सूविधा पूर्ण की जा चुकी हैं पर ही जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

21. यह कि श्रमिको के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सूविधा, मोबाईल, टायेलट सूविधा आदि की सुविधा परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई हैं, भौतिक निरिक्षण रिपोर्ट कर ही जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

22. यह कि श्रमिको का समय-समय पर आक्युपेशनल हेल्थ सर्विलांस कराया जाएगा। जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

23. यह कि आवागमन हेतु आने वाले साधनो की संख्या मे वृद्धि होगी जिससे सडक मार्गो की क्षति व वाहनो की संख्या बढने से दुर्घटना व प्रदुषण बढना तय हैं। जिस हेतु किए जाने वाले उपाय जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने व के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

अतः माननीय से निवेदन/आशा है कि स्वीकृति दिए जाने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता के संबंधित सभी बिन्दुओं का बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टिकरण व परियोजना प्रस्तावक का इस बाबत बिन्दुवार शपथपत्र लेकर ही स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जावेगा। जिसकी प्रार्थी प्रशासन से अपेक्षा रखता है कि इस संबंध मे सभी पहलुओ पर विचार कर स्पष्टिकरण व शपथ पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रदान की जावेगी। साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि इस पत्र पर बिन्दुवार स्पष्टिकरण नही देने पर व इस पत्र को औपचारिक मान कर कोई जवाबदेही तय ना कर एक तरफा निर्णय लेने पर प्रार्थी न्यायालय मे जाने व हरित प्राधिकरण मे शिकायत दर्ज कराने स्वतंत्र रहेगा। जिसकी पूर्ण जवाबदेही आप सक्षम अधिकारी की रहेगी।

विनित
02/10/2020
कर्ण वीर सिंह चौहान
मु.पो. पीठ तह. सिमलवाडा
जिला डूँगरपुर(राज0)314406

दिनांक- 02/10/2020

Scanned by CamScanner